न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 36 / 2017

1. ग्राम पंचायत एकलसिंहा तहसील भिनाय जिला अजमेर जर्ये सरपंच व सचिव

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में साराक्षंतः निवेदन किया है कि ग्राम एकलसिंहा पटवार क्षेत्र एकलसिंहा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एकलसिंहा तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नं. 1393 रकबा 0.50, 1394 रकबा 0.05 हैं. भूमि राजकीय खाते में दर्ज हैं। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजीयात की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हैं जबकि पूर्व रिकॉर्ड में भूमि की किस्म गै.मु. बाडा दर्ज थी। वर्तमान में मौका स्थल पर कोई रास्ता उपलब्ध भी नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर वर्षो से ग्रामीणों के बाडे इत्यादि बने हुए हैं। उक्त वर्णित भूमि की किस्म हाल रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज है जबकि पुराने राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. बाडा दर्ज थी। अतः दुरूस्ती आदेश प्रदान कर उक्त भूमि की किस्म गै.मु. बाडा करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालतःन्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत एकलसिंहा में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी ने बैंच सदस्यों के समक्ष प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र मय मौका पर्चा प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों की पुष्टि की एवं प्रार्थी द्वारा वांछित आनुतोष स्वीकार योग्य बताया। बैंच सदस्यों द्वारा उपस्थित पक्षकारान को सुन गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मजमें आम में रायशुमारी की गइ तो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थी द्वार वांछित अनुतोष न्यायोचित होने से स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्ग धारा 136 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता हैं एवं तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि ग्रा एकलसिंहा पटवार क्षेत्र एकलसिंहा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एकलसिंहा तहसील भिनाय जि अजमेर स्थित आराजी खसरा नं. 1393 रकबा 0.50, 1394 रकबा 0.05 हैं. भूमि की किस्म गे.मु. रार के स्थान पर गै.मु. बाडा दर्ज की जावें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो। पत्रावली नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 09.05.2018 को लोक अदालत शिविर में सुनाया गया।

सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
लोक अदालत	लोक अदालत	लोक अदालत
उपखण्ड-भि	उपखण्ड-भि	उपखण्ड-भि

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.03.13 12:32:20 IST
Reason: SelfAttested